

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:- प. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2014/9374

दिनांक:- 12/12/14

प्रेषक-

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति-

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
कलक्टर (पंचायत) राजस्थान।

विषय:- निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र देने की
रीति के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 के द्वितीय परन्तुक में यह प्रावधान किया गया है कि, निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारियों को उस रीति से डाक द्वारा मत देने के हकदार होंगे जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जावे।

इस क्रम में आयोग ने अपने सांविधिक आदेश 54/09 दिनांक 11.12.2009 द्वारा पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारियों के लिए डाक मत देने की रीति विनिर्दिष्ट की है। पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के आगामी चुनावों में भी निर्वाचन ड्यूटी पर लगाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को इस रीति से ही डाक मत द्वारा मत देने के हकदार होंगे।

आयोग ने अपने पत्रांक 7037 दिनांक 1.1.2010 द्वारा स्पष्ट किया है कि, ऐसे पुलिस कर्मी जो मतदान केन्द्र/बूथ पर निर्वाचन ड्यूटी में लगाए जायेंगे, उन्हें भी आवेदन करने पर डाक मतपत्र जारी किया जा सकेगा।

इसी प्रकार आयोग ने अपने पत्रांक 7206 दिनांक 5.1.2010 द्वारा यह स्पष्ट किया है कि, अधिग्रहित वाहनों के चालक व खलासी Election Duty Staff में शामिल नहीं है। अतः डाक मतपत्र के लिए विति रीति इनके लिए लागू नहीं है।

सुलभ संदर्भ के लिए उक्त आदेश व पत्रों की प्रति संलग्न हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(सत्यप्रकाश बसवाली)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

क्र. 9/रेल.ग.सं.
425

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-30201)

क्रमांक-एफ7(1)(11)/पंचा/रानिआ/09/7037

दिनांक:-1.1.2010

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

प्रेषिती,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)
(पंचायत)।

विषय:- पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2010- निर्वाचन ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को डाक मतपत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ:- आयोग के पत्रांक एफ 4(1)(5)/नपा/रानिआ/94/6165 दिनांक 11.12.09

महोदय,

राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 के द्वितीय परंतुक के अनुसार निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी उस रीति से डाक द्वारा मत देने का हकदार होंगे जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जावे। नियम 35 के स्पष्टीकरण के अनुसार "निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता" से कोई मतदान अभिकर्ता, कोई मतदान अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी या अन्य लोक सेवक, जो किसी पंचायतीराज संस्था में मतदाता है और उसके निर्वाचन ड्यूटी पर होने के कारण मतदान केन्द्र, जहाँ वह मत देने का हकदार है, पर मतदान करने में असमर्थ है, अभिप्रेत है।

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि मतदान कर्मियों के अलावा अन्य लोक सेवकों में वे पुलिसकर्मी भी शामिल हैं जो किसी पंचायतीराज संस्था में मतदाता है और उनकी निर्वाचन ड्यूटी होने के कारण जिस मतदान केन्द्र में वह मत देने का हकदार है वहाँ पर मतदान नहीं कर सकते। इस प्रकार ऐसे पुलिस कर्मी जो मतदान केन्द्र/बूथ पर निर्वाचन ड्यूटी में लगाये जायेंगे उन्हें भी आवेदन करने पर डाक मतपत्र जारी किया जा सकेगा।

संदर्भित आदेश के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के निर्वाचन में डाक द्वारा मत देने की रीति विनिर्दिष्ट की है। अतः इसके अनुसार मतदान केन्द्र पर निर्वाचन ड्यूटी देने वाले पुलिस कर्मियों के लिए भी डाक मतपत्र की व्यवस्था की जानी अपेक्षित है।

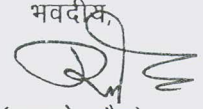
मतदान केन्द्र पर नियुक्त पुलिस कर्मी डाक मतपत्र हेतु यथा समय आवेदन कर सकें और उन्हें यथासमय डाक मतपत्र जारी किया जा सके इसके लिए यह उचित होगा कि जिला पुलिस अधीक्षक को पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र के प्ररूप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दिये जायें ताकि पुलिस कर्मियों को आवेदन पत्र के प्ररूप ड्यूटी आदेश के साथ वितरित किये जा सकें और ऐसे पुलिस कर्मी मतदान के 4-5 दिन पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को ड्यूटी आदेश की प्रति के साथ विधिवत आवेदन कर सकें। ऐसे आवेदन पत्रों को जिला पुलिस अधीक्षक अपने स्तर पर भी पुलिस कर्मियों से संकलित कर तथ्यों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी को दे सकते हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी इन आवेदन पत्रों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को सुपुर्द करने की व्यवस्था कर सकते हैं।

इस प्रकार यथासमय प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर आवश्यक जांच कर डाक मतपत्र के हकदार पुलिस कर्मी को भी मतदान दलों की रवानगी के समय डाक मतपत्र व्यक्तिशः सुपुर्द किये जावें। ऐसे पुलिस कर्मियों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान, मतदान दलों की रवानगी के स्थल पर किया जा सकेगा और इसके लिए वही व्यवस्था लागू रहेगी जो कि मतदान कर्मियों के लिए संदर्भित पत्र में बतायी गयी है।

यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन दोनों के लिए पृथक-पृथक आवेदन किया जायेगा क्योंकि दोनों निर्वाचनों के लिए रिटर्निंग अधिकारी भी पृथक-पृथक हैं तथा डाक मतपत्र भी पृथक-पृथक है।

यह भी उल्लेखनीय है कि वे पुलिस कर्मी डाक मतपत्र के लिए हकदार नहीं हैं जिनकी मतदान केन्द्र पर ड्यूटी वाले दिन उनके मूल मतदान केन्द्र (अर्थात् जिस मतदान केन्द्र की मतदाता सूची में उनका नाम है) पर मतदान नहीं है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करें।

भवदीय,


(आर.के. जैन)

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,

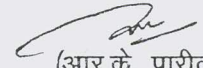
राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 1.1.2010

क्रमांक-एफ7(1)(1)/पंचा/रानिआ/09/7038

प्रतिलिपि:-

1. पुलिस महा निदेशक, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त रेंज पुलिस महा निरीक्षक, राजस्थान।
3. समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों को भेजकर अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त व्यवस्था हेतु जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किसी नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी की जावे।



(आर.के. पारीक)

उपसचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,

राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.4(1)(5)नपा/रानिआ/94/6165

जयपुर, दिनांक: 11-12-09

—: आदेश —

सां.आ. 54/09:—राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 के द्वितीय परंतुक में यह प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी उस रीति से डाक द्वारा मत देने के हकदार होंगे जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जावे। नियम 35 के स्पष्टीकरण के अनुसार “निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता” से कोई मतदान अभिकर्ता, कोई मतदान अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी या अन्य लोक सेवक, जो किसी पंचायती राज संस्था में मतदाता है और उसके निर्वाचन ड्यूटी पर होने के कारण मतदान केन्द्र, जहां वह मत देने का हकदार है, पर मतदान करने में असमर्थ है, अभिप्रेत है।

अतः उक्त नियम 35 के द्वितीय परंतुक के प्रावधानों के अनुसरण में पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद् सदस्यों के निर्वाचन में निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी के लिए डाक मत देने की रीति राज्य निर्वाचन आयोग निम्न प्रकार विनिर्दिष्ट करता है —

1. **निर्वाचक द्वारा सूचना:—** (1) कोई भी निर्वाचक, जो निर्वाचन ड्यूटी पर है नियम 58 के अधीन मतदान के लिये नियत तारीख से कम से कम 5 दिन या ऐसी अल्पतर अवधि जिसकी रिटर्निंग अधिकारी अनुमति देवे, पूर्व किसी भी दिवस को डाक मतपत्र द्वारा मत देने के अपने आशय की एक लिखित सूचना, संलग्न प्ररूप-1 में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को दे सकेगा।
(2) पूर्वोक्त प्ररूप-1 में ऐसी प्रत्येक सूचना में, निर्वाचक का नाम, उसका पता तथा पंचायत समिति का नाम, जिला परिषद्/पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या, पंचायत का नाम, वार्ड संख्या, निर्वाचक की क्रम संख्या और उसके मतदान ड्यूटी की विशिष्टियाँ विनिर्दिष्ट की जायेगी।
(3) प्ररूप-1 में सूचना निर्वाचक द्वारा जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के सम्बन्ध में पृथक-पृथक रिटर्निंग अधिकारी को पृथक-पृथक प्रेषित की जायेगी। यदि रिटर्निंग अधिकारी को समाधान हो जाये कि वह व्यक्ति जिसने पूर्वोक्त उपखण्ड (1) के अधीन सूचना दी है, निर्वाचन ड्यूटी पर है तथा वह निर्वाचन में मत देने का हकदार है तो वह ऐसे व्यक्ति का मत डाक-पत्र द्वारा प्राप्त करने का प्रबन्ध करेगा।
2. **डाक मतपत्र का प्ररूप :—** निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता के लिये डाक मतपत्र उसी रूपांकन का होगा जैसा मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त होने वाले नियम 29 के अधीन आयोग द्वारा विहित साधारण मतपत्र का होता है, सिवाय इस बात के कि मतपत्र के पृष्ठ भाग पर शब्द ‘डाक मतपत्र’ मुद्रांकित किया जायेगा। यानि डाक मतपत्र के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के लिये मुद्रित हुये कुल मतपत्रों में से अपेक्षित संख्या के अतिरिक्त मुद्रित अन्तिम कम संख्या वाले मतपत्रों को काम में लिया जावेगा और उनके पृष्ठ भाग पर रबड मुद्रा से ‘डाक मतपत्र’ मुद्रांकित कर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भी किया जावेगा।
3. **डाक मतपत्रों का जारी किया जाना:—** (1) रिटर्निंग अधिकारी, मत देने के हकदार ऐसे प्रत्येक मतदाता को, यथा साध्य शीघ्रता से डाक मतपत्र भेजने या उसे ऐसे मतदाता को स्वयं को परिदत्त करवाने हेतु कार्यवाही करेगा।
(2) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा डाक मतपत्र भेजने से पूर्व संलग्न प्ररूप-2 में एक रजिस्टर में निर्वाचक की मतदाता सूची की प्रविष्टियों का विवरण यथा पंचायत समिति का नाम, पंचायत समिति या यथा स्थिति, जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या, पंचायत का नाम, वार्ड संख्या एवं उस मतदाता की क्रम संख्या अभिलिखित की जायेगी और मतदाता को जारी किये गये मतपत्र का क्रमांक व निर्वाचन क्षेत्र संख्या भी रजिस्टर में अंकित किया जायेगा। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में सम्बन्धित मतदाता के नाम के सामने शब्द ‘डाक मतपत्र’ यह उपदर्शित करने के लिये अंकित किया जाये कि उस मतदाता को डाक मतपत्र जारी कर दिया गया है किन्तु मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में उस मतदाता को जारी किए गए मतपत्र की क्रम संख्या अभिलिखित नहीं की जायेगी।
(3) जारी किये गये डाक मतपत्रों के क्रम संख्यांक के विवरण वाले रजिस्टर को रिटर्निंग अधिकारी अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।
(4) रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचक को मतपत्र के साथ-साथ निम्नलिखित भी भेजेगा :—

- (क) निर्वाचक द्वारा घोषणा, संलग्न प्ररूप-3 के अनुसार,
- (ख) छोटा लिफाफा - 'क', संलग्न प्ररूप-4 के अनुसार,
- (ग) बड़ा लिफाफा - 'ख', संलग्न प्ररूप-5 के अनुसार, जिस पर रिटर्निंग अधिकारी का पता लिखा हो, तथा
- (घ) निर्वाचकों के मार्ग दर्शन के लिये अनुदेश, संलग्न प्ररूप-6 के अनुसार।
- (5) प्रत्येक अधिकारी, जिसकी देखरेख में या जिसकी मार्फत कोई डाक मतपत्र भेजा जाये, यह सुनिश्चित करेगा कि वह प्रेषिती को अविलम्ब व्यक्तिशः परिदत्त कर दिया गया है।
- (6) यदि रिटर्निंग अधिकारी मतपत्र को डाक द्वारा प्रेषित करता है तो उक्त उप पैरा (4) में वर्णित मतपत्र व कागजात को एक बड़े लिफाफे में रख कर समुचित डाक टिकिट के साथ प्रेषित करेगा।
- (7) लिफाफा 'ख' पर भी समुचित डाक टिकट रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लगाये जायेंगे।
- (8) अगर ऐसे किसी मतदाता, जिसे डाक मतपत्र जारी किया जा चुका है, की निर्वाचन ड्यूटी निरस्त कर दी जाती है, तब भी वह मतदाता डाक मतपत्र से ही मतदान करेगा, अपने निश्चित केन्द्र में व्यक्तिशः मतदान नहीं कर सकेगा।
- (9) रिटर्निंग अधिकारी यथा संभव प्रशिक्षण सत्र में ही डाक मतपत्र निर्वाचक को व्यक्तिशः परिदत्त करेगा।
- (10) डाक मतपत्र द्वारा मत देने के हकदार ऐसे समस्त निर्वाचकों को मतपत्र जारी कर दिये जाने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों के जारी करने के सम्बन्ध में उपयोग में लाये गये मतपत्रों के कम संख्यांक के ब्यौरे अंकित किये हुये प्ररूप-2 के रजिस्टर को एक पैकेट में मुहरबंद कर देगा, जिस पर उसकी विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण, जिला परिषद या यथा स्थिति, पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक और वह तारीख जिस दिन वह इसे मुहरबंद करें, अभिलिखित करेगा। उक्त मुहरबंद पैकेट को वह अन्य मुहरबंद निर्वाचन अभिलेख के साथ सुरक्षित अभिरक्षा में रखवा देगा।

4. **डाक मतपत्र पर मत का अभिलेखन:-** कोई निर्वाचक, जिसे डाक मतपत्र प्राप्त हो गया है और जो मत देना चाहता है, संलग्न प्ररूप-6 में 'निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिये अनुदेश' में विहित अनुदेशों के अनुसार मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात् उसे 'छोटा लिफाफा-क' में सुरक्षित ढङ्ग से रख देगा। उक्त छोटे लिफाफे के गले 'निर्वाचक द्वारा भेजा', जिस पर निर्वाचक के हस्ताक्षर किसी राजपत्रित अधिकारी या मतदान अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी, द्वारा अनुप्रमाणित हो, को बड़े लिफाफा 'ख' में बन्द करके रिटर्निंग अधिकारी को भेजेगा।

5. **डाक मतपत्र लौटाना:-** (1) डाक मत पत्रों को निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता रिटर्निंग अधिकारी को डाक से अथवा अन्य शीति से प्रेषित कर सकेगा ताकि वह रिटर्निंग अधिकारी के पास मतगणना प्रारंभ करने के लिए नियत समय से पहले पहुँच जाये।

(2) किन्तु डाक मत पत्रों को रिटर्निंग अधिकारी को परिदत्त करने की व्यवस्था को सुगम बनाने की दृष्टि से रिटर्निंग अधिकारी को चाहिये कि वह अपने कार्यालय में तथा मतदान दलों की रवानगी स्थल तथा मतदान दलों की वापसी पर मतदान सामग्री संग्रहण स्थल पर एक सीलड बॉक्स प्रत्येक पंचायत समिति एवं जिला परिषद के लिए अलग-अलग पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखें जहाँ निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता डाक मतपत्र को लिफाफे में बंद कर उक्त सीलड बॉक्स में डाल सकें। इस प्रकार रखे गये बॉक्स को प्रतिदिन सायंकाल रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा खोला जाकर प्राप्त डाक मतपत्रों को इस हेतु रखे गये रजिस्टर, जिसका प्ररूप-7 संलग्न है, में दर्ज किया जायेगा और मतों की गणना तक उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा।

6. **डाक मतपत्रों का पुनः जारी किया जाना:-** (1) भेजे गए डाक-मतपत्र और अन्य कागजपत्र यदि किसी कारणवश अपरिदत्त लौटा दिए गए हों तब रिटर्निंग अधिकारी अपने से प्रार्थना किए जाने पर उन्हें डाक प्रेषण प्रमाण पत्र के अधीन डाक द्वारा फिर उन्हें भेज सकेगा या स्वयं निर्वाचक को उन्हें परिदत्त कर सकेगा या परिदत्त करा सकेगा।

(2) यदि किसी निर्वाचक ने अनवधानता से डाक मतपत्र या अन्य कागजपत्रों में से किसी को ऐसी शीति से बरता है कि वे सुविधानुसार उपयोग में नहीं ला सकते तो कागजपत्रों का एक दूसरा सैट खराब हुए कागजपत्रों को निर्वाचक द्वारा लौटाए जाने और रिटर्निंग अधिकारी का समाधान अनवधानता के बारे में किए जाने पर उसे जारी कर दिया जाएगा।

(3) रिटर्निंग अधिकारी ऐसे लौटाए गए खराब कागजपत्रों को रद्द करेगा और निर्वाचन की विशिष्टियों और रद्द किए गए मतपत्रों के क्रम संख्याओं को उस पर टिप्पण कर उन्हें पृथक पैकेट में रखेगा।

7. डाक द्वारा प्राप्त मतों की गणना:- (1) मतगणना में वे ही डाक मतपत्र शामिल किये जावेगे जो मतगणना प्रारम्भ करने के लिये निश्चित समय तक रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो जावेगे।
- (2) मतगणना प्रारम्भ करने के निमित्त नियत समय के अवसान के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त प्ररूप-5 के लिफाफे (लिफाफा-ख) को खोला नहीं जायेगा और ऐसे किसी लिफाफे में अन्तर्विष्ट किसी मत की गणना नहीं की जायेगी।
- (3) उपरोक्त उप पैरा (1) में मतगणना प्रारम्भ करने के लिये नियत समय तक प्राप्त सभी लिफाफों, (लिफाफा-ख) को एक-एक करके खोला जायेगा और जैसे ही हर एक लिफाफे को खोला जाए, रिटर्निंग अधिकारी प्रथमतः उसमें अन्तर्विष्ट प्ररूप में की गई घोषणा की संवीक्षा करेगा।
- (4) यदि उक्त घोषणा नहीं पायी जाती है या उसे सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित नहीं किया गया है अन्यथा सारतः त्रुटिपूर्ण है या यदि उसमें यथा प्रविष्ट मतपत्र का क्रम संख्यांक प्ररूप-4 के लिफाफे (लिफाफा-क) पर पृष्ठांकित क्रम संख्यांक से भिन्न है तो उस लिफाफे (लिफाफा-क) को खोला नहीं जायेगा और उस पर समुचित पृष्ठांकन करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी उसमें अन्तर्विष्ट मतपत्र को प्रतिपेक्षित (नामंजूर) कर देगा।
- (5) ऐसे पृष्ठांकित हर एक लिफाफे (लिफाफा-क) और उसके साथ प्राप्त प्ररूप-3 में निर्वाचक की घोषणा को पुनः लिफाफे-ख में रखा जाएगा और ऐसे सभी लिफाफे एक पृथक पैकेट में रखे जायेंगे जिन्हें मुद्राबन्द किया जायेगा और जिस पर पंचायत समिति या यथास्थिति जिला परिषद का नाम एवं इसके निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या, गणना की तारीख और उसकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित किया जायेगा।
- (6) रिटर्निंग अधिकारी तत्पश्चात् प्ररूप-3 में की गयी उन सभी घोषणाओं को, जो उसने सही पायी हैं, पृथक पैकेट में रखेगा जिसे प्ररूप-4 के किसी लिफाफे को (लिफाफा-क) खोलने के पहले मुद्राबन्द किया जायेगा और जिस पर उपरोक्त उप पैरा-5 में निर्दिष्ट विशिष्टियां अभिलिखित की जाएगी।
- (7) प्ररूप-4 में उन लिफाफों को, (लिफाफा-क) जिनके मामले में उपरोक्त उप पैरा-6 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है तब एक-एक करके खोला जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी हर एक मतपत्र की संवीक्षा करेगा और उस पर अभिलिखित मत की विधिमान्यता का विनिश्चय करेगा।
- (8) उपरोक्त उप पैरा-7 के अन्तर्गत संवीक्षा में डाक मतपत्र को प्रतिपेक्षित कर दिया जाएगा-

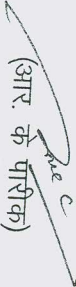
- (क) यदि उस पर कोई चिन्ह (मत को अभिलिखित करने के लिये चिन्ह से भिन्न) या लेख है जिससे निर्वाचक की पहचान हो; या
- (ख) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं है; या
- (ग) यदि उस पर मत एक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में दिए गए हैं;
- (घ) यदि वह बनावटी मतपत्र है; या
- (ङ) यदि वह ऐसे रूप में क्षत या विकृत है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है; या
- (च) यदि उसे उस लिफाफे में रखकर नहीं लौटाया गया है जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचक को उसके साथ भेजा गया था।
- (छ) यदि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर ऐसी रीति से लगा है कि वह बात सन्देहपूर्ण हो जाती है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है।
- (9) कोई डाक मतपत्र इस कारण नामंजूर नहीं किया जायेगा कि उस पर अभिलिखित करने वाला चिन्ह निर्धारित उपकरण से अन्यथा लगाया गया है। किसी भी अभ्यर्थी के लिये मतपत्र में निर्दिष्ट स्थान में, जिसे मतदाता अपना मत अभिलिखित करना चाहता है, बालपैन या स्याही से "x" या "✓" का अंकन पर्याप्त होगा।
- (10) डाक मतपत्र पर अभिलिखित मत को केवल इस आधार पर कि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है, प्रतिपेक्षित नहीं किया जाएगा यदि यह आशय कि मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए है, मतपत्र चिन्हित किए जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है।
- (11) रिटर्निंग अधिकारी उन सभी विधिमान्य मतों की, जो डाक मतपत्र द्वारा हर एक अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए हैं, गणना करेगा और इस प्रकार गणना करके अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये कुल विधिमान्य मतों में जोड़कर परिणाम पत्र में अभिलिखित करेगा और उन्हें सुनायेगा।

(12) तदुपरांत सभी विधिमन्त्र्य मतपत्रों और सभी प्रतिपेक्षित मतपत्रों के पृथक-पृथक बंडल बनाए जाएंगे और उन्हें एक साथ एक पैकेट में रखा जाएगा जिसे रिटर्निंग ऑफिसर की और ऐसे अभ्यर्थियों, मुद्राओं से मुद्रांकित किया जाएगा। ऐसे मुद्राबंद पैकेटों पर पंचायत समिति या यथास्थिति, जिला परिषद का नाम एवं सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, गणना की तारीख और उनकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित किया जाएगा।

आज्ञा से,

(आर. के जैन)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

- 6166
11-12-09
प्रतिलिपि :- निर्मांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. समस्त सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत) (कलेक्टर) _____।
 2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी जिला परिषद / पंचायत समिति _____।


(आर. के पारीक)
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग।
राजस्थान, जयपुर।

डाक मतपत्र हेतु
रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन-पत्र

प्रेषित:

रिटर्निंग ऑफीसर
पंचायत समिति/जिला परिषद^(*).....(नाम)
सदस्य निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.....

महोदय,

मैं.....पंचायत समिति/जिला परिषद^(*).....के सदस्य के
लिये निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....के होने वाले निर्वाचन में अपना मत डाक द्वारा देना चाहता हूँ।
मेरा नाम पंचायत समिति.....व जिला परिषद.....के सदस्य
निर्वाचन क्षेत्र सं.....में समाविष्ट ग्राम पंचायत.....के वार्ड सं.....
.....की निर्वाचक नामावली के क्रम संख्या.....पर प्रविष्ट है।
मुझे मत पत्र इस पते पर भेजा जावे।

पता:-

भवदीय

स्थान.....
दिनांक.....

नोट- जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचक हेतु डाक मत पत्र प्राप्त करने के लिए
अलग-अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावे।

X जो लागू ना हो उसे काट दीजिये।

जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन में डाक मतपत्र जारी करने का रजिस्टर

जिला परिषद/पंचायत समिति^(*)

क्र० स०	मतदाता का नाम एवं मतदान ड्यूटी का विवरण	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	मतदाता की क्रम संख्या	निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक	जारी किये गये मतपत्र का क्रमांक	जारी करने की दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								



X जो लागू ना हो उसे काट दीजिये।

निर्वाचक द्वारा घोषणा

..... पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के लिये
निर्वाचन

मैं, इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वहीं निर्वाचक हूँ जिसे उपर्युक्त निर्वाचन के लिये कम संख्या
..... वाला डाक मतपत्र जारी किया गया है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर
पता

तारीख

हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन

उपर्युक्त पर श्री (निर्वाचक) द्वारा, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता
हूँ/जिनकी पहचान श्री (पहचान कर्ता) ने की है, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से
जानता हूँ मेरे समाधान पर्यन्त मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये हैं।

पहचानकर्ता, यदि कोई हो, के हस्ताक्षर

पता

अनुप्रमाणित करने वाले (राजपत्रित अधिकारी/मतदान
अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी) अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम
पता

तारीख



छोटा लिफाफा - क

(मतगणना से पूर्व नहीं खोला जाना है)

.....*पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र सं..... के लिये
निर्वाचन

डाक मतपत्र

मतपत्र की कम संख्याक.....

*जो लागू ना हो उसे काट दें।

बड़ा लिफाफा - ख

मतगणना से पूर्व नहीं खोला जाना है

निर्वाचन/अपिलम्ब
डाक मतपत्र

(.....)*पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र सं..... के लिये
निर्वाचन)

प्रेषित:-
रिटर्निंग अधिकारी

.....
(पूरा पता लिखें)

*जो लागू ना हो उसे काट दें।

..... पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र सं..... के
लिये निर्वाचन*

निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिये अनुदेश

इसके साथ भेजे गये मतपत्र पर जिन व्यक्तियों के नाम छपे हैं वे उक्त निर्वाचन में उम्मीदवार हैं। यदि आप मत देना चाहते हैं तो आपको अपना मत नीचे भाग 1 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अभिलिखित करना चाहिये तथा इसके बाद भाग-2 में विस्तृत रूप से दिये गये अनुदेशों का अनुसरण करना चाहिये।

भाग-1

- (क) पंचायत समिति एवं जिला परिषद से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मामले में एक है अतः पंचायत समिति या यथा स्थिति जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र के लिये आपको केवल एक मत देना है।
- (ख) आपको एक से अधिक उम्मीदवारों को मत नहीं देना चाहिये। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका मत-पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (ग) अपना मत, उस उम्मीदवार के नाम के सामने जिसे आप मत देना चाहते हैं "X" अथवा "✓" का स्पष्ट चिन्ह लगाकर अभिलिखित करें। यदि चिन्ह इस प्रकार लगाया गया है जिससे यह शंका हो गयी कि किसी अभ्यर्थी को आपने मत दिया है तो आपका मत अविधिमान्य हो जायेगा।
- (घ) चिन्ह इस प्रकार लगाया जाय जिससे स्पष्ट रूप से तथा निःसन्देह यह पता चल जाये कि आपने किस उम्मीदवार का मत दिया है। यदि आपका चिन्ह इस प्रकार लगाया है जिससे यह बात स्पष्ट हो जाय कि आपने किस उम्मीदवार को मत दिया है, तो वह मत अविधिमान्य हो जायेगा।
- (ङ) आपका मत गुप्त है। आपको मत-पत्र पर अपने हस्ताक्षर नहीं करने चाहिये या इस पर अन्य ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं लगाना चाहिये जो आपकी पहचान को प्रकट करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मत-पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

भाग-11

- (क) मत-पत्र पर, अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात्, इस मत-पत्र को इसके साथ साथ भेजे गये एक छोटे लिफाफे में जिस पर "क" अंकित है, रख दीजिये। लिफाफे को बन्द कर दें तथा इस पर मुहर लगाकर या अन्यथा सुरक्षित कर लें।
- (ख) इसके पश्चात्, आपको इसके साथ भेजे प्ररूप में एक घोषणा पर भी किसी ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हैं जो आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने के लिये सक्षम हैं। ऐसा अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी या मतदान दल का मतदान अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी अधिकारी होना चाहिये। इस घोषणा को ऐसे किसी भी अधिकारी के पास ले जायें तथा आपकी पहचान के बारे में उसका समाधान हो जाने के पश्चात् उसके समक्ष इस पर हस्ताक्षर करें। वह अधिकारी आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करेगा तथा आपको घोषणा वापिस कर देगा। आपको अपना मत-पत्र अनुप्रमाणित करने वाले अधिकारी को नहीं दिखाना चाहिये और न ही उससे यह कहें कि आपने किस प्रकार का मत दिया है।
- (ग) मद (ख) अनुसार आपकी घोषणा पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् तथा आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित हो जाने के पश्चात् प्ररूप में की गई घोषणा तथा छोटे लिफाफे को, जिस पर "क" अंकित है, तथा

जिसमें मतपत्र रखे गये हैं, एक बड़े लिफाफे में, जिस पर 'ख' अंकित है, रख दीजिये। बड़े लिफाफे को बन्द करने के पश्चात् इसे रजिस्ट्रीकृत डाक या किसी संदेशवाहक द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेज दीजिये।

(घ) आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि यह लिफाफा रिटर्निंग ऑफिसर के पास (तारीख) को बजे से पूर्व पहुँच जाये

(ङ.) कृपया नोट करें कि —

- (1) यदि आप अपनी घोषणा को उपदर्शित रीति से अनुप्रमाणित करवाने में असफल रहते हैं तो आपका मत-पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा, और
- (2) यदि आपका लिफाफा रिटर्निंग ऑफिसर के पास (तारीख) को बजे के पश्चात् पहुँचता है तो आपके मत की गणना नहीं की जायेगी।

(X)निर्वाचन की समुचित विशिष्टियां अंकित करें।

डाक मतपत्र प्राप्ति का रजिस्टर

* पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन हेतु

क्र.सं.	प्राप्ति का दिनांक	प्राप्त डाक मतपत्र		विशेष विवरण
		निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक	मतपत्रों की संख्या	
1	2	3	4	5

*जो लागू ना हो उसो काट देवें।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.7(1)(17)पंचा/रानिआ/09/7206

जयपुर, दिनांक: 5 जनवरी, 2010

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

प्रेषित,

जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत) (कलेक्टर) बाडमेर

विषय:- पंचायत चुनाव 2010 के अन्तर्गत अधिग्रहित वाहनों के चालकों/खलासियों को
डाक मतपत्र की सुविधा के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- आपका पत्र क्रमांक 1056 दिनांक 03.01.2010 के कम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रांक द्वारा अवगत कराया है कि चुनाव में अधिग्रहित वाहनों के चालकों एवं खलासियों को पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन में डाक मत देने की सुविधा दी जानी है अथवा नहीं।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि नियम-35 में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार ये Election Duty Staff में शामिल नहीं हैं, अतः डाक मतपत्र के लिये विहीत रीति इनके लिये लागू नहीं है।

भवदीय,



सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान जयपुर।